

अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर,  
वाराणसी जोन 1/2 वाराणसी।

कृपया सूची में अंकित आपके जोन से सम्बन्धित प्रकरणों का अवलोकन करना चाहें, जो मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित है तथा जिनका निस्तारण किये जाने हेतु प्रकरण मुख्यालय प्रेषित किया गया था, प्रकरणों का परीक्षण करने पर कालम संख्या-5 में अंकित आपत्तियाँ प्रकाश में आयी हैं :-

क्र०सं०	मृतक/व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु दिनांक	आपत्ति
1	स्व० श्री शिवम सिंह	सर्वश्री हिमालयी बायोकेमी हर्ब्स, वाराणसी	18-11-2025	प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि फर्म का पंजीयन वाराणसी सेक्टर-12 में है, जबकि मृतक व्यापारी स्व० श्री शिवम सिंह के आधार कार्ड पर उनका निवास बिहार अंकित है तथा उनके पिता श्री जनार्दन सिंह के आधार कार्ड पर उनका निवास उत्तराखण्ड अंकित है तथा व्यापारी की मृत्यु सहारनपुर में हुई है। अतः उक्त पर स्थिति स्पष्ट कराया जाना उचित होगा।
2-	स्व० श्री अनुप कुमार	सर्वश्री लक्ष्मी हार्डवेयर, सुकृत सोनभद्र	19-09-2025	प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि व्यापारी की मृत्यु माइन ब्लास्ट के कारण हुई है, उपलब्ध करायी गयी जी०डी के कालम संख्या 8 रोग का विवरण में अंग्रेजी अपठनीय एवं कालम संख्या 11 मृत्यु स्वाभाविक थी अथवा अन्य किसी कारणवश में अंग्रेजी अपठनीय उल्लिखित है। अतः उक्त पर स्थिति स्पष्ट कराया जाना उचित होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरणों में दावेदार से स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रकरण मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण का ससमय निस्तारण किया जा सके।

उक्त पत्र आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(अशोक कुमार सिंह)  
अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1- संयुक्त आयुक्त(कार्य०), राज्य कर, वाराणसी सम्भाग-बी, मिर्जापुर सम्भाग मिर्जापुर।

2- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।